न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रांजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 116/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कुन्दन पुत्र कन्नड कौम चमार निवासी भटकोल (मृतक)

1/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कुन्दन

1/2. जागेश्वरी पुत्री कुन्दन

1/3. रोशनी पुत्री कुन्दन

1/4. सुगना बेवाह कुन्दन

जाति चमार निवासीयान ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––––– अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज पुत्र चन्द
2. मेवा बेवाह चन्द
3. राजपाल पुत्र चन्द
4. शीला बाई पुत्री चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता मेवा कौम चमार निवासी भटकोल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान ।

:––––– रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

किशनगढबास दिनांक 24.5.2003

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :— श्री धीरसिंह चौधरी

निर्णय दिनांक [redacted] 4-9-2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा वाद संख्या 66/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2003 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात भौमा, किशोरी, छीतर, कन्नड, रामप्रसाद व दाताराम की गैर खातेदारी पटटे की आराजी थी, जिसमें सभी का बराबर बराबर 1/6, 1/6 भाग था । मृतक कन्नड का विवादित आराजी में जो हक हिस्सा था, वो उसके वारिसान वादी को 1/2 भाग व प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/4 भाग तथा 2, 3, 4 को 1/4 भाग प्राप्त हुआ । सम्वत 2029 तक इसी प्रकार का इन्द्राज हो रहा है । परन्तु बाद में प्रतिवादी नम्बर 01 ने चालाकी से आराजी मुतनाजा में कहीं पर तो अपने हिस्से से अधिक का अमल करा लिया तथा कहीं पर वादी का नाम ही हजफ करा दिया । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पक्षकारान मृतक कन्नड के वारिस हैं तथा कन्नड के वारिस होने की वजह से अपने हक व हिस्से की आराजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अपीलांट का पिता कुन्दन कन्नड का जायज वारिस था और कन्नड की आराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था । परन्तु प्रतिवादी रेस्पो0 ने चालाकी से अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा दर्ज करवा लिया और हमारा हिस्सा कम करवा दिया तथा कुछ आराजी में से तो हमारा नाम ही कलमजन करवा दिया । हमने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अब हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे ।

सह-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अधि. अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । अगर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही राजीनामा पर भी गौर किया । उक्त राजीनामा में पक्षकारान में सहमति जताई है कि विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलांटान का एवं 1/2 भाग पर रेस्पो0 का कब्जा है । इसी अनुसार अमल कराने के अधिकारी है । चूंकि यह राजीनामा पक्षकारान ने आपसी सहमति से एवं अपने हस्ताक्षरों से पेश किया है । ऐसी स्थिति में हम मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 24.5.2003 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान से राजीनामा लेकर न्यायसंगत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वो तहत न्यायालय में दिनांक 25.10.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner